

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(13)राज/वाद/17

जयपुर, दिनांक ८5-1०-2०21

श्री \_\_\_\_\_  
विशिष्ट लोक अभियोजक,  
पोक्सो न्यायालय----- ।

**विषय:-** बच्चों के खिलाफ हिंसा के लिये बाल संरक्षण प्रणाली की प्रतिक्रिया पर दिनांक 09.10.2021 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय संगोष्ठी में भाग लेने के संबंध में।

**सन्दर्भ:-** राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर का पत्र क्रमांक RSLSA/2021/17427 दिनांक 30.09.21

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र ने अवगत कराया है कि निदेशक राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर ने बच्चों के खिलाफ हिंसा के लिये बाल संरक्षण प्रणाली की प्रतिक्रिया पर दिनांक 09.10.2021 (द्वितीय शनिवार) को प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक एक दिवसीय राज्य स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की जानी है।

अतः सारणी के क्र०सं० 1 से 6 में वर्णित विशिष्ट लोक अभियोजक (पोक्सो) को 09.10.2021 (द्वितीय शनिवार) को प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक एक दिवसीय राज्य स्तरीय संगोष्ठी में भाग लेने हेतु मनोनीत किया जाता है, साथ ही निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संगोष्ठी से संबंधित सामान्य निर्देशों, तौर तरीकों व अन्य नवीनतम अपडेट के लिये नामित विशेष लोक अभियोजकों को राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाइट [www.rlsa.gov.in](http://www.rlsa.gov.in) से नियमित रूप से संपर्क बनाये रखे।

क्र सं०	अभियोजक का नाम	पद नाम	मोबाईल नं०
1	श्री रूपेन्द्र कुमार परिहार	विशिष्ट लोक अभियोजक, पोक्सो, 2005 सं०1, अजमेर	9828025145
2	श्री रोशनदीन	विशिष्ट लोक अभियोजक, पोक्सो, 2005 सं०1, अलवर	9462236786
3	श्री तरुण जैन	विशिष्ट लोक अभियोजक, पोक्सो, 2005 सं०1, भरतपुर	9414474754
4	श्री राजेश श्योराण	विशिष्ट लोक अभियोजक, पोक्सो, 2005 सं०1, जयपुर महानगर- प्रथम	9079344951 9828605706
5	श्रीमती विजय पारीक	विशिष्ट लोक अभियोजक, पोक्सो जयपुर जिला, जयपुर	9829627790
6	श्री प्रेम नारायण नामदेव	विशिष्ट लोक अभियोजक, पोक्सो, 2005 सं०1, कोटा	9413440269

३०

(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को संदर्भित पत्र के क्रम में।

2. प्रोगामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि